रविवारीय

भारत की डिजिटल क्रांति

परिवर्तन का एक दशक और भावी योजना

राव इंद्रजीत सिंह

पिछले एक दशक में भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई है जो असाधारण है. जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंत:क्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई थीवह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है.

यह यात्रा आकस्मिक नहीं थी. इसे भारत सरकार द्वारा ठोस नीति निर्धारण, अंतरमंत्रालयी सहयोग, और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है. जब संबद्ध मंत्रालयों जैसेइलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयोंने बड़े पैमाने में ज़मीनी स्तर पर परियोजनाओं को पूरा किया, तो दूसरी ओर नीति आयोग ने अभिसरण को बढ़ावा देकर, विचारों को नेतृत्व देकर, और स्केलेबल, नागरिक-प्रमुखतावाले नवाचारों की ओर प्रणाली को प्रेरित कर नीति इंजन का काम किया है.

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी की शुरुआत के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है. लगभग 55 करोड़ बैंक खातों के खोलने के साथ-साथ, करोड़ों लोगों को, जो पहले वित्तीय प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अकस्मात बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच प्राप्त हुई है. ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहली बार बिना बिचौलिए की सहायता से एक सिंगल मदरको कल्याणकारी लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया. उनकी कहानी भारत भर के करोड़ों लोगों की कहानी बन गई है. यह वृहद वित्तीय समावेशन आंदोलन वित्त मंत्रालय के समर्थन और आधार तथा मोबाइल पैठ कीसक्षम सहायता सेअगला कदम: एक वित्तीय-प्रौद्योगिकी विस्फोट का आधार बना.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है. किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्ज़ी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स की जीवनरेखा बन गया. आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं, और यहाँ तक कि सड़क किनारे के विक्रेता वाले भी एक साधारण क्यूआर कोड के ज़रिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं.

इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अवसंरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है. भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाया

है, जबकि इंडिया स्टैक ने कागज़-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित सेवाओं का ढाँचा तैयार किया. डिजी-लॉकर ने छात्रों को अपने प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में रखने, और ई-हस्ताक्षर ने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के लिए दूरस्थ प्रमाणीकरण प्रदान किया. डिजी-यात्रा एक अग्रणी पहल है जो चेहरे के पहचान की तकनीक का उपयोग करके निर्बाध, कागज़-रहित और संपर्क-रहित हवाई यात्रा को संभव बनाती है.

यह त्वरित चेक-इन, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर हवाई अड्डे की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करती है, साथ ही विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन के माध्यम से डेटा गोपनीयता की सुरक्षा भी करती है.यह भारतीय विमानन के भविष्य की तैयारी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.ये मात्र ऐप ही नहीं हैं - ये एक डिजिटल गणराज्य की आधारशिला हैं.

डिजिटल गवर्नेंस ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के शुभारंभ के साथ बड़ी उछाल लगाई है. सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिज़ाइन किए गए, जेमने 1.6 लाख से अधिक सरकारी क्रेताओं को 22 लाख से अधिक विक्रेताओं से जोड़ा है - जिसमें महिला उद्यमियों और एमएसएमई की बढ़ती संख्या शामिल है. राजस्थान के एक छोटे हस्तशिल्प विक्रेता के लिए, इसका अभिप्राय सरकारी संविदाओं तक पहुंच प्रदान करना था जो पहले अकल्पनीय था.

कृषि क्षेत्र, जिसे प्राय: परिवर्तन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता है, ने भी डिजिटल साधनों को अपनाना शुरु कर दिया है. पीएम-किसान जैसे प्लेटफॉर्म ने यह सुनिश्चित किया कि आय सहायता किसानों तक सीधे पहुँचे. ई-नैम ने राज्यों की कृषि मंडियों को जोड़ा, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सके. डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उन्हें कौन सी फसलें उगानी चाहिए और अपनी भूमि में कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए. झारखंड के ग्रामीण-क्षेत्रों में, स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) उनके लिए एक प्रकार से डिजिटल जीवन रेखा बन गए, जो टेली-मेडिसिन से लेकर बैंकिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हर चीज की पेशकश करते हैं.

महामारी भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के लिए एक कठिन परीक्षा थी जिसमें हम बखूबी सफलहुए. स्कूल बंद होने के बावजूद, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्मों ने यह सुनिश्चित किया कि पढ़ाई अनवरत चलती रहे. लद्दाख और केरल के छात्र भी भारत भर के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं. इसके साथ ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अपना आकार लिया, जिससे नागरिकों को एक डिजिटल आईडी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच प्राप्त हुई और अस्पतालों एवं राज्यों में एक सहज वातावरण बन सका.

वाणिज्य में भी एक शांत क्रांति देखी गई. डीपीआईआईटी की एक पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अब छोटी किराना दुकानों और हथकरघा बुनकरों को बड़ी ई-कामर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही है. डिजिटल कॉमर्स के कार्यों को एकीकृत करके, ओएनडीसी प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे व्यवसाय आसानी से लॉजिस्टिक्स, भुगतान और ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणालियों तक पहुँच सकें.

नीति आयोग की अभिसरण भूमिका—मंत्रालयों, राज्यों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को एकजुट करना है—जो सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ अंतर-संचालनीय, समावेशी और स्केलेबल हों. जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, नए आयाम उभर रहे हैं- एआई-सक्षम शासन, विकेन्द्रीकृत वाणिज्य, और बहुभाषी, मोबाइल-प्रथम डिजिटल सेवाएँ जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुँच सकती हैं.

लेकिन यह सिर्फ़ एक सरकारी सफलता से जुड़ी कहानी नहीं है. यह एक राष्ट्र की कहानी है—करोड़ों नागरिकों की कहानी है जिन्होंने बदलाव को अपनाया, उद्यमियों की कहानी है जो डिजिटल रेल पर आगे बढ़े, और स्थानीय लीडरों की कहानी है जिन्होंने सेवा वितरण की नई कल्पना की.

भारत का डिजिटल दशक सिर्फ़ तकनीक का नहीं है—यह बदलाव का दशक भी है और यह कहानी का अभी प्रारंभिक चरण ही है.

(लेखक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं.)

व्यंग्य

नेताओं के मुंह से झर रहीं गालियां... आओ बजाएं सब तालियां...!

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

मित्रों, यह हम सब बखूबी जानते हैं कि गालियां हमारी चिरकालीन परंपरा है .गालियों की सर्वप्रथम उत्पत्ति कब और कहां हुई यह तो ठीक ठीक से नहीं बताया जा सकता लेकिन एक बात दावे से कही जा सकती है कि जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया होगा वैसे वैसे गालियों का भी विकास होता गया होगा . बाद में धीरे धीरे यह एक लोकभाषा के रूप में विकसित हो गई . आज हालात यह है कि नेताओं द्वारा बयान और भाषणों में गालियों का उपयोग अलंकार या मुहावरों के तौर पर किया जाता है . इन दिनों नेताओं द्वारा इनका उपयोग स्वंय को निडर बताने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी किया जाने लगा है . यह सभी मर्यादाओं और भाषाई तटबंधों को तोड़ने का साधन बना दी गईं हैं . गालियों को साहित्यिक भाषा में दुर्वचन कहा जा सकता है . यह शब्द कितना साहित्यिक और सुसंस्कृत लगता है . यह शब्द अत्यंत गुस्सैल ऋषि दुर्वासा मुनि का भी आभास कराता है .

इस विधा की लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पहले इस लोक संवाद का उपयोग मन ही मन किया जाता था . परंतु जैसे जैसे हमारी सियासत जवान होती गई . ये बुदबुदाहट, बाद में लाउड हो कर लाउडस्पीकर तक जा पहुंची . जैसे-जैसे सियासत जवानी की सीढ़ियां चढ़ती गई . नेताओं के सद्प्रयास से यह गालियां सार्वजनिक सभाओं और मंचों की मुख्य विषय वस्तु बन गईं . इसे लोकप्रिय बनाने में नेताओं का यह प्रयास भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा . वैसे हम सब यह भलीभांति हैं जहां काम सुई से चल सकता हो वहां तलवार को मियान में ही पड़े रहने देना चाहिए . संत कवि रहीम चचा ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि जहाँ काम आवे सुई,वहाँ करे तरवारि . आज कल तलवार का उपयोग कौन करता है ? इसके दर्शन तो दंगों के दौरान एक ही विशेष तबके के द्वारा किया जाता रहा है . आज कल तलवार पुराना चलन की बात हो गई . अब तो तमंचों और गोलियों, पेट्रोल बमों, गुलेलों का चलन है . यह सब तो हिंसा के हथियार हैं . लेकिन गालियां देना पूर्णत: अहिंसक प्रक्रिया है .इनका प्रयोग होते ही अगले बंदे के प्राण सूख जाते हैं और वह सरेंडर कर देता है . महिलाओं का एक और ऐसा हथियार है जिससे दरो दीवार कांप जाते हैं और वह हथियार है गगन भेदी अट्टाहास, महिलाओं की चौधरी इसका उपयोग देश के सबसे बड़े पंचायत भवन में कर चुकीं हैं . उनकी अट्टाहास से पंचायत भवन की छत और दीवारों से प्लास्टर तक जमीन पर आ गिरा था . वह तो शुक्र मनाओ की उस भवन का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था . वरना आज के जमाने वो बना होता तो वह उसी समय सभी पंचों को लेकर जमींदोज हो गया होता .

आजकल के नेताओं के शौक भी अजीब होते हैं . नेता बिना किसी शर्मों हया के दिनदहाड़े एक दूजे को आंख मारने में, पुरुष को आलिंगन करने में तनिक भी संकोच नहीं करते . परंतु बता दे कि इस तरह की हरकत करने वालों को 'गे' कहा जाता है . अब बात गालियों के असर की तो, गालियों का असर वैसा ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे . अहिंसा की अहिंसा और हिंसा की हिंसा . इसे सुनते ही कमजोर इंसान तो तुरंत, तुम ही हो माता, पिता तुम ही श्लोक पढ़ने लग जाता है . गाली देना चाणक्य नीति के समान है . बिना खून खराबा किए फतह पाने जैसा है . गालियां की गर्जना सुनकर आस पास के श्रोता गण लंबे समय तक खुद ब खुद आपको दबंग मान बैठते है .

आप और हम भला तो क्या ख़ाक गालियां देंगे . इस मामले में निम्न मध्यम वर्ग की स्त्री-पुरुषों का गलियों का कोष अत्यंत समृद्ध है . झुग्गी बस्तियों में जब दो महिला दलों के बीच जब गालियों का मुकाबला होता है, अहा ! मजा ही आ जाता है . उस समय दोनों टीमों में क्या जोश और जज्बा होता है वह दांतों तले उंगली दबाने वाला होता है . गलियों का असर सैकड़ों राउंड गोली चलाने से गहन गंभीर होता है . इसका एक लाभ यह भी है कि इन्हें बच्चे बड़ी तेजी से केवल सीख ही नहीं जाते अगले कुछ देर में अपने संगी साथियों पर धड़ धड़ उपयोग भी कर डालते हैं . गालियां व्यक्ति की आक्रोश, कुंठा और बीपी को कम करने का मुख्य साधन बन गईं हैं . ये शोषक द्वारा शोषित के प्रति और मालिक का दास के प्रति साधिकार किया जाने वाला स्वस्ति वाचन बन गया है . विधि की पुस्तकों में बताया गया है कि किसी को भी गाली देना कानूनन अपराध है . पर कुछ योद्धा लोग जो कानून को अपनी जेब में रख कर उसे भी गालियों से सुशोभित करने से परहेज नहीं करते हैं . आधुनिक समय में गाली को जिस तरह उपयोग किया जाता है वह गैर कानूनी बन गया है . जहाँ तक हमारी पुरातन परंपरा की बात है तो हमारी संस्कृति में गालियां को मीठी, छेड़छाड़ की एक लोक विधा के रूप में उपयोग किया जाता है . आज भी ग्रामीण अंचलों की शादियों में महिलाओं द्वारे गाए जाने वाले विवाह गीतों और गायन में समधी और समधनों के लिए लोकगीतों में गालियों का उपयोग किया जाता है . वह एक हंसी ठिठोली और मजाक में लीं जातीं है . इस पर न तो वर पक्ष बुरा मानते हैं और न ही वधू पक्ष और न ही बारात में आए बाराती ही इसका बुरा मानते हैं . बल्कि इसी के उलट दोनों पक्ष इसका मजा लेते हैं . कभी कभी तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा लोकगीतों के माध्यम से दी गई गालियों का जबाव, बारात के संग आईं वर पक्ष की महिलाओं द्वारा गालियों का उसी तरह गीतों में जबाव दिया जाता है . इसी तरह होली पर गाए जाने वाले फ़ाग गीतों में भी लोकभाषा में गालियों का प्रयोग किया जाता है . इस तरह के गीत उत्तरप्रदेश और बिहार में खूब गाए जाते हैं . जहाँ तक समाज में गालियों की स्थिति की बात की जाए तो इसके दो पक्ष हैं .एक और तो यह दोस्ती में प्रगाढ़ता का प्रतीक है वहीं यह नफरत के स्तर को भी प्रदर्शित करती है . जिगरी दोस्तों के बीच जो गालियों का आदान प्रदान होता है वह एक मीठी नोंकझोंक होती है .

हिंदी दिवस पर विशेष

डा . अजय शर्मा
(लेखक साहित्कार हैं)

राज भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है. हर बार हम लोग हिंदी दिवस मना कर सरकार से मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बना दिया जाए. हर राज्य की अपनी एक मां बोली है, यानी खूबसूरत भाषा है. इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के हर प्रांत की मातृ भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है. जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वह ग्लोबलाइजेशन का दौर है. इस दौर में तरक्की वही इंसान कर सकता है, जो मल्टी लिंग्वल होगा. उसका सीधा कारण है, जहां मातृ भाषा हमें संस्कार और संस्कृति से जोड़ती है, वहीं राज भाषा हिंदी भाषा हमें हर प्रांत से जोड़ने का कार्य करती है.

2006 में मैंने उपन्यास शहर पर लगी आंखें लिखा था और उसमें यह स्थापित की थी, जितनी भाषाएं किसी इंसान की अंदर होती हैं, उतने ही व्यक्ति उसके अंदर होते हैं. इसके बावजूद, भारतवासियों को एक ऐसी भाषा की जरूरत है, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके. अगर हम उस भाषा की बात करें, तो वह हिंदी के अलावा कोई नहीं हो सकती. इसलिए यह बात बहुत जरूरी है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में देखा जाना चाहिए. आज तीन चौथाई आबादी हिंदी बोल लेती है, पढ़ लेती है. 1949 में राज भाषा घोषित किया गया था और 1953 में पूरे देश में हिंदी दिवस मनाने की शुरूआत हो गई. हिंदी भाषा इतनी तरल और सरल है, जिसे हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बालीवुड में हिंदी की फिल्में हर प्रदेश में लगती हैं और देखी जाती हैं. आज हिंदी के अखबार किसी भी दूसरी भाषा के अखबारों से सबसे ज्यादा छपते हैं. इसका सीधा अर्थ है, हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में हिंदी से जुड़ा हुआ है.

हिंदी में वह शक्ति है, जो सभी प्रांतों के लोगों को

संपर्क भाषा के रूप में अपने जोड़ सकती है. आज सोचता हूं तो यह भी लगता है, जब हिंदी को राज भाषा बनाया गया, तब हर प्रांत की भाषा को राष्ट्र भाषा कर देना चाहिए था. कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा. अब भी कुछ नहीं बिगड़ा. आरंभ कभी प्रचंड नहीं बन सका. जिस दिन आरंभ प्राचंड बन जाएगा, उस दिन विचारों की क्रांति आएगी और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बड़ी आसानी से स्वीकार किया जाएगा. भाषा हर देश की ताकत होती है. यह भी सच है कि जिस देश की अपनी राष्ट्र भाषा नहीं होती, उस देश का विकास रुक जाता है. लेकिन हमारा देश तो अनेकता में एकता वाला देश है, जितने प्रांत हैं, उतनी ही राष्ट्र भाषाएं हैं. देश की आजादी के समय, पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न प्रदेशों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस भाषा के माध्यम से अपनी

कई प्रदेशों में हिंदी साहित्य अकादमी नहीं

आवाज उठाई, वह हिंदी थी. विभिन्ना प्रांतों के बावजूद, हिदुंस्तानियों ने कोई भाषा चुनी तो वह हिंदी थी. उस समय हभी हिंदी ने संपर्क भाषा का काम किया और जन-जन की भाषा बनी.

देश की जनता जानती थी, देश के हर कोने में हिंदी हर कोई समझता है. अगर समूह को इस आंदोलन में जुड़ सकता है, तो वह केवल हिंदी से जुड़ सकता है. भारत आजादी का महोत्सव मनाने में मससरूफ है. जाहिर सी बात है, भारत को आजाद हुए साढ़े सात दशक से ऊपर हो चुके हैं. अगर मैं गैर हिंदी प्रदेशों की बात करूं,, तो हिंदी को जिंदा रखने में हर प्रांत का अहम योगदान है. भारतीय भाषाओं में हिन्दी का वही स्थान है, जो नदियों में गंगा का. गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है. गंगोतरी से जब गंगा निकलती है, तो एक छोटी-सी धारा के रूप में दिखाई देती है. लेकिन जैसे-जैसे नीचे आती जाती है, वह अपना विशाल रूप धारण करती जाती है. हिंदी की पहचान भले ही राष्ट्र भाषा के रूप में न बन पाई हो, लेकिन लिंक भाषा या राज भाषा के रूप में अपनी दस्तक देती रहती है. गंगा जमुनी तहजीब की जब बात होती है तो भाई चारे की बात भी होती है. ऐसे ही हिंदी में छपा हुआ लेख, चाहे वह किसी भी भाषा में लिखा गया हो, वह क्षेत्रिय सीमा को पार कर जाता है और व्यापक रूप धारण कर लेता है. अगर मैं कहूं कि भारतीय भाषाओं में हिन्दी का वही स्थान है, जो नदियों में गंगा का है, तो गलत न होगा.

आज भी हिंदी की स्थिति के बारे में बात करूं, तो हिंदी देश की हदें सरहदें तोड़ कर बाहर अपनी पहचान बना रही है. हिंदी के कुछ शब्द तो ऑक्सफार्ड डिक्शनरी में भी दर्ज कर लिए हैं. ऐसा माना जाता है जब पंजाब का हिंदी भाषा को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान है. हमारी बदकिस्मती यह है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी पंजाब समेत कई प्रदेशों में हिंदी साहित्य अकादमी नहीं हैं. उसकी कमी हमेशा खटकती है और खटकती रहेगी. सरकारों को चाहिए कि हर प्रदेश में हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना की जाए, ताकि हिंदी का प्रचार-प्रसार अधिक से अधिक किया जा सके और हिंदी जन-जन तक पहुंच कर सशक्त रूप से संपर्क भाषा बन सके.

उपराष्ट्रपति चुनाव!

अमित शाह अमिट छाप छोड़ गए

न तेलुगू प्राइड! न तमिल प्राइड! सिर्फ देश का प्राइड

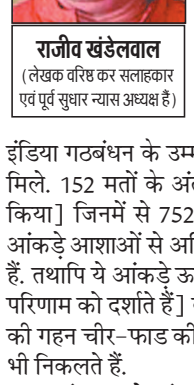

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा दिया था. यह कहना अधिक समीचीन है कि उनका इस्तीफा लिया गया, क्योंकि इस्तीफे के बाद आज तक उनके स्वास्थ्य पर एक भी मेडिकल बुलेटिन सार्वजनिक नहीं किया गया. अब और क्या सबूत की आवश्यकता रह गई है?

9 सितंबर 2025 को थोपे गये उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सी- पी- राधाकृष्णन ने 452 वोट पाये और प्रतिद्वंद्वी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस बी- सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले. 152 मतों के अंतर से जीत मिली. कुल 767 सांसदों ने मतदान किया] जिनमें से 752 वोट वैध और 15 वोट अवैध घोषित हुए. ये आंकड़े आशाओं से अधिक होकर आशंकाओं को लगभग निर्मूल करते हैं. तथापि ये आंकड़े ऊपर से जितने सामान्य दिखते हैं और जो सामान्य परिणाम को दर्शाते हैं] वास्तव में स्थिति वैसी है नहींझ यदि इन आंकड़ों की गहन चीर-फाड की जाए, तो उसमें छुपे उसके कई अर्थ और अनर्थ भी निकलते हैं.

असंभव को संभव कर दिखाया - एक म्यान में दो तलवारें (परस्पर दुश्मनों की) साथ कैसे रह सकती हैंझ इस असंभव को संभव करने का कोई करिश्मा किसी ने दिखाया है] तो वे शख्स हैं] देश के राजनैतिक नेतृत्व के प्रधानमंत्री के बाद नंबर दो कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह] जिन्हें समय-समय पर चाणक्य, लौह पुरुष आदि संज्ञाओं से नवाजा भी जाता है. उक्त चुनाव परिणाम अमित शाह के इस नेतृत्व को सिद्ध करता है. -आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दोनों को एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए साथ खड़ा कर लेना सामान्य रणनीति नहीं थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत समर्थन के साथ अमित शाह की यही राजनीतिक चतुराई चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित हुई. उल्लेखनीय यह भी है कि जगन रेड्डी यदि चाहते] तो नायडू से दूरी दिखाने के लिए बीजेडी, टीआरएस, शिरोमणि अकाली दल की तरह मतदान से अनुपस्थित रह सकते थे] किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं.

सिर्फ देश के प्राइड राधाकृष्णन - इस चुनाव में एक ओर तमिलनाडु से राधाकृष्णन थे और दूसरी ओर तेलंगाना से सुदर्शन रेड्डी. अपेक्षा थी कि दोनों ओर से तमिल प्राइड और तेलुगू प्राइड की राजनीति होगी. किंतु इस बार राज्य की अस्मिता से ऊपर देश की अस्मिता सामने आई. पूर्व में महाराष्ट्र और बंगाल की अस्मिता का मुद्दा राष्ट्रपति चुनावों में कामयाब रहा था. परंतु इस उपराष्ट्रपति के चुनाव ने यह संदेश दिया कि राष्ट्रवाद

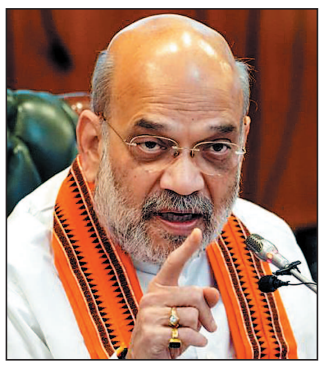

राज्यीय पहचान से ऊपर है. अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे—दोनों को इसका श्रेय जाता है. वैसे राज्य की अस्मिता से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का झंडा लेकर चलने वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आकर राज्य की अस्मिता से ऊपर देश के अस्मिता रखने के लिए बधाई जरूर देनी चाहिए.

भारी विजय! लेकिन ऐतिहासिक नहीं- राधाकृष्णन की 152 वोटों से जीत भारी है] क्योंकि उन्हें अपेक्षा से अधिक मत मिले. लेकिन यदि तुलना वर्ष 2022 से करें, तब जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 528 बनाम 182 यानी 346 वोटों के भारी अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. इस दृष्टि से राधाकृष्णन की जीत भारी तो कही जा सकती है] पर ऐतिहासिक कदापि नहीं. दोनों उम्मीदवारों को अधिकृत वोट क्रमश: 438 एवं 315 वोट थे. 28 अतिरिक्त वोटों में से 14-14 दोनों उम्मीदवारों को मिले. तीन क्षेत्रिय पार्टियों व एक निर्दलीय चुनाव में अनुपस्थित रहे.

क्या अवैध मत डालने वाले ये 15 सांसद अनुपयुक्त नहीं- देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए और संविधान लागू हुए 75 वर्ष. फिर भी हमारे सांसदों में से 15 ने उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक चुनाव में अवैध वोट डाला. प्रश्न उठता है. क्या ऐसे सांसदों की सदस्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए? अथवा इन घोषित अवैध मतों की कार्रवाई को अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत चुनौती दी जायेगी. या आर.टी.आई. के माध्यम से इन्हे अवैध घोषित करने का कारण पूछा जायेगा? अथवा क्या इस तरह के प्रावधान, कानून लाने की आवश्यकता नहीं है? यद्यपि हमारे देश में मतदाता बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त (कंडीशन) नहीं है. आज भी देश की लगभग 27.9 करोड़ (जो कुल जनसंख्या का लगभग 19% है) जनसंख्या ''अनपढ़ होने के बावजूद अपने मताधिकारों का विभिन्न चुनावों में सफलतापूर्वक उपयोग करती है. उसमें इतनी समझ भी रहती है कि जब एक समय (1971 के पूर्व) जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, तब लगभग 34 करोड़ (कुल जनसंख्या का 68%) अनपढ़ मतदाता अपने मतों का उपयोग विवेक से अलग-अलग दलों के लिए किस प्रकार किया जाना चाहिये. तब ऐसे 15 सांसदों जिनके वोट अवैध हुए, क्या जनता के प्रति उनका यह विश्वासघात नहीं है? जिस जनता ने उन्हें अपने हितों और क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर भेजा हो उस सांसद को वैद्य मत डालना ही नहीं मालूम है, तब वह जनता की सेवा कैसे कर पाएगा? इतना स्पष्ट है की इंडिया गठबंधन के 315 वोट थे और 300 वैद्य मत मिले.

क्रॉस वोटिंग?- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का वोटिंग होने के पश्चात 5 बजे किया गया ट्वीट इंडिया गठबंधन की 315 की संख्या की पुष्टि करता है. इसका मतलब 15 अवैध वोट हुए, जो सामान्यतया सब इंडिया गठबंधन के ही होने चाहिए. तथापि गुप्त मतदान होने से इन 15 अवैध वोटों का पता नहीं लग सकता है. लेकिन शायद यह पूर्ण सत्य नहीं है. क्योंकि एनडीए को उनके कुल अधिकृत वोटों से कुछ और ज्यादा ही मत मिले. राजनीति में प्रतिद्वंदी पर आरोप लगाने के चक्कर में कई बार व्यक्ति अपने पर भी आरोप लगाने से परहेज नहीं करता है. शायद इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर लीक की जाती है (जिसका आजकल बहुत प्रचलन है) कि भाजपा के 10 वोट अवैध हुए. मतलब भाजपा अपने ही 10 सांसदों पर अवैध मत डालने का आरोप सिर्फ इसलिए लगाना चाहती कि इस कारण से इंडिया गठबंधन के 10 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग के राजनैतिक फायदे की बात का नैरैटिव बनाया जा सके.